बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक– BRRDA(HQ)-MMGSY-208/2016 – 4147 /पटना, दिनांक– 15.6.17

प्रेषक,

संजय कुमार, भा०व०से०
अपर सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय : मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमो पर पूंजीगत परिव्यय उप मुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–103–ग्राम विकास–उप शीर्ष–0113 (सामान्य), अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–लघुशीर्ष–789–उप शीर्ष–0104 एवं जनजातीय क्षेत्र उप योजना–लघुशीर्ष–796–उप शीर्ष–0109 के अन्तर्गत प्रत्येक योजना के निर्माण कार्य हेतु सूची के स्तम्भ–9 में अंकित राशि का पथवार प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 (अनुसूचित जाति) के लिए कार्य प्रमंडल, पटना के अधीन कुल 02 योजनाओं के निर्माण कार्य हेतु निम्न तालिका के स्तम्भ–9 में अंकित राशि का पथवार प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

Chart- A

Sl No.	Division	Block	Category	Name of Road	Priority no of core network	Length (In km)	Total Population Served	Administrative Approval Amount (In Lakhs)	Cost per Km
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Patna	Khusrupur	SC	Mirnagar to Tilhar Kasimpur Pachrukhiya via NH-30	1 (CUPL)	1.872	4062	112.490	60.091
			Total			1.872	4062	112.490	
2	Patna	Sampatchak	SC	Laxmichak Near R.C.C Pul to Chipura Kala Mahadalit Tola	42	3.050	275	204.310	66.987
			Total			3.050	275	204.310	

2. विभागीय सचिव द्वारा दिनांक 20.05.2017 को निम्न शर्तों के साथ इन योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है:–
   (क) इस योजना को दो वित्तीय वर्ष, अर्थात वर्ष 2017–18 एवं वर्ष 2018–19 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
   (ख) कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, पटना योजनाओं के विस्तृत कार्य योजना तैयार करेंगे तथा उसके अनुरूप कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।
   (ग) स्वीकृत योजना की प्रविष्टि State Core Network के मानचित्र पर भी कर लिया जायेगा।
   (घ) कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, पटना सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत पथ किसी अन्य योजना के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं है।
3. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, पटना योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।
4. कार्य ई–निविदा के माध्यम से Standard Bidding Document के आधार पर कराया जायेगा।